



# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No 3 of 1997)

दूरभाष/Phone : +91-7152-255707

ई-मेल/Mail : registrar@mgahv.in

क्रमांक : 006/Estdt./2012/22/ 01

दिनांक : 01.01.2022

## कार्यालय ज्ञापन

(विषय : विश्वविद्यालय के कर्मियों द्वारा सम्पत्ति विवरण जमा करने के संबंध में)

- शिक्षा मंत्रालय के मेल दिनांक 18-01-2021 एवं उसके साथ प्राप्त सतर्कता अनुभाग, शिक्षा मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन दिनांक 06-01-2021 तथा केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम-18(1)(i) एवं (ii) तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्रांक 11012/11/2007-Estdt दिनांक 27-09-2011 (प्रति संलग्न) के निर्देशानुसार, समूह 'क' एवं 'ख' (शिक्षकों सहित) से संबंधित किसी भी सेवा/कैडर अथवा किसी भी पद पर आसीन सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को प्रथम नियुक्ति पर अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं की और उसके बाद निश्चित अंतराल के उपरांत निर्धारित प्रपत्रों में अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का पूर्णविवरण भरकर जमा करना अनिवार्य है।
- उपर्युक्त के आलोक में, विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर अधिकारियों/कर्मचारियों (समूह-'क' एवं 'ख') को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, अपना वार्षिक अचल सम्पत्ति विवरण (Annual Immovable Property Return) निर्धारित प्रपत्र में भरकर दिनांक 19.01.2021 तक अनिवार्य रूप से स्थापना एवं प्रशासन विभाग में भेजना सुनिश्चित करें।
- कृपया ध्यान दें कि नवनियुक्त शिक्षकों सहित पूर्व में नियुक्त जिस किसी शिक्षक अथवा शिक्षकेतर अधिकारी/कर्मचारी ने अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण जमा नहीं किया है, को, 4 प्रपत्रों (हिंदी/अंग्रेजी) में विवरण देना है तथा जिनके द्वारा पूर्व में इन प्रपत्रों में विवरण जमा किया गया है, उन्हें उपर्युक्त पैरा-2 के अनुसार सिर्फ एक पृष्ठीय प्रपत्र में अचल सम्पत्ति विवरण देना है। उक्त दोनों तरह के प्रपत्र अलग-2 संलग्न हैं तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट के 'कर्मचारी कोना' कॉलम पर भी उपलब्ध हैं।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(क़ादर नवाज़ खान)  
कार्यकारी कुलसचिव

01/01/22

प्रति(ई-मेल द्वारा): समस्त संबंधित शिक्षक एवं शिक्षकेतर अधिकारी/कर्मचारी (समूह 'क' एवं 'ख')

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा):

- कुलपति कार्यालय
- प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
- समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, पुस्तकाल्याध्यक्ष एवं क्षेत्रीय केंद्रों के अकादमिक निदेशक/प्रभारी
- कुलसचिव कार्यालय
- वित्त विभाग
- लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- रक्षित पत्रावली।



(दिनांक 31.12.2021 को वर्ष 2022 के लिए अचल संपत्ति का विवरण)

Statement of IMMOVABLE PROPERTY for the year 2021 as on 31<sup>st</sup> December, 2020

कर्मी का नाम (पूरा नाम) Name of the Employee (in full)	वर्तमान पद Present Designation	जन्म तिथि Date of Birth	कर्मी कोड Employee Code
विभाग/केंद्र/क्षेत्रीय कार्यालय, जहाँ पदस्थ है। Name of the Department/Centre/Regional Centre/Office, where posted	ऐ मैट्रिक्स के तहत सेवता Level in the Pay Matrix	वर्तमान मूल्य बेतन Present Basic Pay	
जिला, सब डिवीजन, संपत्ति का नाम तथा विवरण Name and details of the property, housing lands & other buildings in which property is situated	वर्तमान मूल्य* Present Value*	यदि संपत्ति अपने स्वयं के नाम पर नहीं है तो बताएँ कि किसके नाम से है तथा उससे सरकारी कर्मी का क्या संबंध है ? If not in name of the employee, state in whose name held & his/her relationship to the Govt. servant	संपत्ति कैसे अर्जित की गई ? क्या खरीदी गई, पड़े पर ली गई **, बेंधक, उत्पादिकारी, उपहार अथवा किसी अन्य स्रोत से ली गई। तारीख जिसको अधिकार में ली गई तथा उस व्यक्ति का नाम जिससे ली गई। How acquired, whether by purchase, lease **, mortgage, gift or otherwise with date of acquisition and name with details of person/persons from whom acquired
तालुका और गाँव का नाम जहाँ संपत्ति है। Name of District, Sub-Division, Taluka & Village in which property is situated	1	2	3
			4
			5
			6
			7

जो खंड लागू नहीं है, उसे काट दिया जाए। Inapplicable clause may be struck out.

\* जहाँ मूल्य का सटीक आंकलन संभव नहीं है वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अनुमानित मूल्य का उल्लेख किया जाए।

\* In cases where it is not possible to assess the value accurately the approximate value in relation to present condition may be indicated.

\*\* अल्पकालीक पैदे पर ही गई भूमि भी शामिल है। Lease includes short-time lease also.

कोई प्रतिवर्तन नहीं या कल जड़ा नहीं या पिछले वर्ष की भावि आदि शब्दों को न लिखें हम पर्याप्त विवरण भरा जाए। The wording "No Change," or "No addition," or "As previous year," may be avoided all details must be filled up

टिचांक/Date :

158

APPENDIX-I  
[Rule 3(1)]

**Return of Assets and Liabilities on First Appointment or as on the 31<sup>st</sup> March, 20.....\***  
(Under Sec 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.)

1. Name of the Public servant in full.....  
(in block letters)
- 2.(a) Present public position held  
(Designation, name and address  
of organisation)  
.....  
.....  
.....
- (b) Service to which belongs  
( if applicable)  
.....

Declaration:

I hereby declare that the return enclosed namely, Forms I to IV are complete, true and correct to the best of my knowledge and belief, in respect of information due to be furnished by me under the provisions of section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

Date.....

Signature.....

\* In case of first appointment please indicate date of appointment.

Note 1. This return shall contain particulars of all assets and liabilities of the public servant either in his/her own name or in the name of any other person. The return should include details in respect of assets/ liabilities of spouse and dependent children as provided in Section 44 (2) of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

(Section 44(2):A public servant shall, within a period of thirty days from the date on which he makes and subscribes an oath or affirmation to enter upon his office, furnish to the competent authority the information relating to—

- (a) the assets of which he, his spouse and his dependent children are, jointly or severally, owners or beneficiaries;  
(b) his liabilities and that of his spouse and his dependent children.)

Note 2. If a public servant is a member of Hindu Undivided Family with co-parcenary rights in the properties of the family either as a 'Karta' or as a member, he should indicate in the return in Form No. III the value of his share in such property and where it is not possible to indicate the exact value of such share, its approximate value. Suitable explanatory notes may be added wherever necessary.

Note 3:—"dependent children" means sons and daughters who have no separate means of earning and are wholly dependent on the public servant for their livelihood. (*Explanation below Section 44(3) of Lokpal and Lokayuktas Act, 2013*)

APPENDIX-II  
[Rule 3(1)]

FORM No. I

**Details of Public Servant, his/ her spouse and dependent children**

SL No.		Name	Public Position held, if any	Whether return being filed by him/her, separately
1	Self			
2	Spouse			
3	Dependent-1			
4	Dependent-2			
5.*	Dependent-3			

\* Add more rows, if necessary.

Date.....

Signature.....

155

**"FORM No. II**

**Statement of movable property on first appointment or as on the 31<sup>st</sup> March, 20...**  
 (Use separate sheets for self, spouse and each dependent child.)

of public servant/spouse/dependent child: \_\_\_\_\_

No	Description	Remarks, if any
* Cash and bank balance:		
(i) ** Insurance (premia paid):		
Fixed /Recurring Deposit(s) :		
Shares/Bonds :		
Mutual Fund(s) :		
Pension Scheme/Provident Fund		
Other investments, if any :		
(ii) Personal loans/advance given to any person or entity including firm, company, trust, etc. and other receivables from debtors and the amount (exceeding two months basic pay or Rupees one lakh, as the case may be):		
(iv) Motor Vehicles (Details of Make, registration number, year of purchase and amount paid):		
(v) Jewellery [Give details of approximate weight (plus or minus 10 gms. in respect of gold and precious stones; plus or minus 100 gms. in respect of silver).]  Gold: Silver: Precious metals and precious stones: Composite items: (indicate approximate value)***		
(vi) Any other assets [Give details of movable assets not covered in (i) to (v) above]  (a) Furniture (b) Fixtures (c) Antiques (d) Paintings (e) Electronic equipments (f) Others  [Indicate the details of an asset, only if the total current value of any particular asset in any particular category (e.g. furniture, fixtures, electronic equipments, etc.) exceeds two months' basic pay or Rs. 1.00 lakh, as the case may be.]		

Date .....

Signature.....

\* Details of deposits in the foreign Bank(s) to be given separately.

\*\* Investments above Rs. 2 lakhs to be reported individually. Investments below Rs.2 lakhs may be reported together.

\*\*\* Value indicated in the first return need not be revised in subsequent returns as long as no new composite item had been acquired or no existing items had been disposed of, during the relevant year.";

154

FORM NO. III

Statement of immovable property on first appointment or as on the 31<sup>st</sup> March, 20...  
(e.g. Lands, House, Shops, Other Buildings, etc.)

[Held by Public Servant, his/her spouse and dependent children]

四

Signature.....

Note (1) For purpose of Column 9, the term "lease" would mean a lease of immovable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent. Where, however, the lease of immovable property is obtained from a person having official dealings with the Government servant, such a lease should be shown in this Column irrespective of the term of the lease, whether it is short term or long term, and the periodicity of the payment of rent.

## "FORM No. IV

Statement of Debts and Other Liabilities on first appointment or as on 31<sup>st</sup> March,  
20....

Sl. No.	Debtor (Self/ Spouse or dependent children)	Name and address of Creditor	Nature of debt/ liability and amount	Remarks
1	2	3	4	5

Date .....

Signature.....

Note 1: Individual items of loans not exceeding two months basic pay (where applicable) and Rs. 1.00 lakh in other cases need not be included.

Note 2. The statement should include various loans and advances (exceeding the value in Note 1) taken from banks, companies, financial institutions, Central/State Government and from individuals.".

परिशिष्ट - 1  
(नियम 3(1) देखिए)

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.... को यथाविद्यमान आस्तियों और दायित्वों की विवरणी  
(लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के अधीन)

1. लोक सेवक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

2. (क) वर्तमान में धारित लोक स्थिति

(पदनाम, नाम और संगठन का पता)

(ख) किस सेवा से संबंधित है (यदि लागू है)

#### घोषणा —

यह घोषणा करता हूँ कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के उपर्युक्तों के अधीन, मेरे द्वारा, प्रस्तुत की जाने वाली सूचना की बाबत संलग्न विवरणी अर्थात् प्ररूप 1 से प्ररूप 4 मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है।

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

\*पहली नियुक्ति की दशा में, कृपया नियुक्ति की तारीख उपर्युक्त करें।

टिप्पण 1. इस विवरणी में या तो उसके स्वयं के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम लोक सेवक की सभी आस्तियों और दायित्वों की विशिष्टियाँ अंतर्भूत होंगी। विवरणी में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 (2) में यथाउपर्युक्त पति या पत्नी और आश्रित बालकों की आस्तियों/दायित्वों की बाबत व्यैर सम्मिलित होंगे।

(धारा 44(2) लोक सेवक उस तारीख से जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को) —

(क) उन आस्तियों के संबंध में जिनका वह उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक संयुक्ततः या पृथकतः स्वामी या फायदाग्राही हैं;

(ख) अपने और अपने पति या पत्नी और अपने आश्रित बालकों के दायित्वों के संबंध में,

सूचना देगा।

टिप्पण 2. यदि कोई लोक सेवक, या तो “कर्ता” या किसी सदस्य के रूप में कुर्टुब की संपत्तियों में सह समांशी अधिकारों के साथ हिंदू अविभक्त कुर्टुब का सदस्य है तो उसे ऐसे संपत्ति में अपने भाग का मूल्य प्ररूप सं 3 की विवरणी में उपर्युक्त करना चाहिए और जहाँ ऐसे भाग का ठीक मूल्य उपर्युक्त करना संभव नहीं है वहाँ इसका लगभग मूल्य उपर्युक्त हो, स्पष्टीकारक टिप्पणियों को जोड़ा जा सकेगा, जहाँ कहीं आवश्यकता हो।

टिप्पण 3. “आश्रित बालक” से ऐसे पुत्र और पुत्रियाँ अभिप्रेत हैं जिनके पास उपार्जन का कोई पृथक साधन नहीं है और वे अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः लोकसेवक पर आश्रित हैं। (नीचे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(3) का स्पष्टीकरण

प्ररूप संख्या 1

लोकसेवक, उसके पति या पत्नी और आश्रित बालकों के ब्यौरे

क्रम संख्या		नाम	धारित लोक स्थिति यदि कोई हो	दया विवरणी, उसके द्वारा पृथक रूप से फाइल की जाती है।
1	स्वयं			
2	पति या पत्नी			
3	आश्रित - 1			
4	आश्रित - 2			
5*	आश्रित - 3			

\*और पवित्र जोड़े, यदि आवश्यक हैं

लागौरव

हस्ताक्षर

## प्रृष्ठ सं 2

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20..... को यथाविद्यमान जंगम संपत्ति का विवरण  
(स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित प्रत्येक बालक के लिए पृथक शीट का प्रयोग करें)

क्रम सं ०	विवरण	टिप्पणियां, यदि कोई हों
(i)*	नकदी और बैंक में अतिशेष :	
(ii)**	बीमा (संदर्भ ग्रीमियम) :	
	नियत/आवर्ती जमा :	
	शेयर/बॉड :	
	पारस्परिक निधि (निधियां) :	
	पैशान स्कीम/भविष्य निधि	
	अन्य विनिधान, यदि कोई हों :	
(iii)	किसी व्यक्ति या अस्तित्व जिसके अंतर्गत फर्म, कंपनी, न्यास आदि भी हैं को दिया गया व्यक्तिगत वृणा/अभिदाय (एडवांस) और ऋणियों से प्राप्त अन्य प्राप्तियां और रकम (यथास्थिति, दो भास का मूल वैतन या एक लाख रुपए से अधिक) :	
(iv)	मोटर यान (निर्माण, रजिस्ट्रीकरण संख्या, क्रय करने का वर्ष और संदर्भ रकम के ब्यौरे) :	
(v)	आभूषण [अनुमानित भार (सोना बहुमूल्य रत्न की बाबत 10 ग्राम अधिक या कम ; चांदी की बाबत 100 ग्राम अधिक या कम)]	
	सोना :	
	चांदी :	
	बहुमूल्य धातुएँ और बहुमूल्य रत्न :	
	मिश्रित मर्दे :	
	(अनुमानित मूल्य उपदर्शित करें)***	
(vi)	कोई अन्य आस्ति : [उपरोक्त (i) से (v) के अंतर्गत न आने वाली जंगम आस्तियों के ब्यौरे दृ] (क) फर्नीचर (ख) फिक्सचर (ग) प्राचीन वस्तुएँ (घ) रंगचित्र (पेटिंग) (ड) इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर (च) अन्य	

(49)

(किसी प्रवर्ग की बाबत व्यौरे तभी उपदर्शित करें यदि उस विशिष्ट प्रवर्ग (अर्थात् फर्नीचर, फिक्सचर, इलैक्ट्रोनिक उपस्कर आदि) में सम्मिलित किसी विशिष्ट आस्ति का कुल वर्तमान मूल्य, यथास्थिति, दो मास के मूल वेतन या 1.00 लाख रुपए से अधिक हो)	
--	--

## तारीख.....

## हस्ताक्षर.....

\*विदेशी बैंक (बैंको) में जमाओं के व्यौरे पृथक रूप से दिए जाएंगे।

\*\*2 लाख रुपए से अधिक के विनिधानों व्यक्तिगतरूप से रिपोर्ट किए जाएंगे। 2 लाख रुपए से कम के विनिधान एक साथ रिपोर्ट किया जा सकता है।

\*\*\*पहली विवरणी में उपदर्शित मूल्य को पश्चातवर्ती विवरणियों में पुनररूपित करने की आवश्यकता नहीं है जहां तक सुरक्षात् वर्ष के दौरान कोई नई संयुक्त भद्र अंजित नहीं की गई हो या किन्हीं विद्यमान भद्रों का निपटारा नहीं किया गया हो।"

## प्रलम्ब-स० ३

यहली नियुक्ति पर या ३१ मार्च, २०..... को अध्याविद्यालय अध्यावर संघर्षी का विवरण

(लोक सेवक, उसके पति या पत्नी और आश्रित बालकों द्वारा घासित)

क्रम संख्या	संघर्षी का वर्णन (भूमि/गड्ढ/ फर्मट/दुकान/ओद्योगिक आदि)	सुनिश्चित अवस्थिति का सार जिज्ञासा, प्रभाग, लाइसेंस और उस ग्राम का नाम जिसमें अवस्थिति है और इसकी सुधारना सर्वांग आदि	भूमि का क्षेत्र (भूमि मवनों में) प्रकृति	भूमि और मवनों पासलों में)	संघर्षी के मामले में प्रकृति	वित्तार को	यहि सेवक का	अर्जन को	तारीख को	केसे अंजित की गई (क्या वर्तमान क्रय, बंधक, पट्टे, विवाह, दान या अन्यथा दाख है) और उस व्यक्तियों के द्वारा लाहित नाम जिनसे अंजित की गई है (पता और सबद व्यक्ति/व्यक्तियों सरकारी सेवक से संबंध, यदि कोई है) क्रय उसमें लोक- सेवक की नातोंपरी, यदि कोई	संघर्षी का कुल वार्षिक आय	टिप्पणियाँ
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	

गोपीनाथ.....

हस्ताक्षर.....

टिप्पण - १. संख्य १ के प्रयोगजन के लिए, पट्टा "पट्टा" से वर्ष वर्ष से किसी एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए आरक्षित अवधि के लिए स्थावर संघर्षी का पट्टा अधिकृत होना लगाया जाता है जिसका सरकारी सेवक के साथ शासकीय संरचन है। ऐसे पट्टे की अवधि को चाहे यह अत्यधिक हो या दीर्घकालिक हो और किएए के संदर्भ को कालिकरा पर ध्यान दिए बिना दराया जाना चाहिए।

147

## "प्रस्तुति सं0 4

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20..... को वशाविद्यमान ऋणों और अन्य दायित्वों का  
विवरण

क्रम सं0	ऋणी (स्वयं/ पति या पत्नी या आकृति बालक)	लेनदार का नाम और पता	ऋण/दायित्व की प्रकृति और रकम	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

टिप्पण 1 : उधारों की व्यष्टिक मर्दों को जो दो मास के मूल वेतन से अधिक नहीं हैं (जहां लागू हों) और अन्य दशाओं में 1.00 लाख रुपये हैं, समिलित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पण 2 : विवरण में बैंकों, कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से और व्यष्टियों से लिए गए विभिन्न ऋणों और अभिदायों (एडवांसों) को समिलित करना होगा।